

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीनी

प्रतिवादीगण

गापूदेवी

बनाम

इन्द्रराज वगैरह

करण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.३८... / 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
07.2020	<p>वादीनी की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने पेश किया है। वाद दर्ज रजिस्टर किया हो। प्रतिवादीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.07.2020 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p> <p>कारण/पत्रकारान के माध्यम से</p> <p>23.7.20 <i>[Signature]</i></p> <p>गोहासीन अधिकारी जो निर्दिष्ट <i>[Signature]</i> बकाया पर गये हुए हैं, इसलिए <i>[Signature]</i> गये हुए दिनांक 24.8.20 <i>[Signature]</i></p> <p>24/8/20 वकील वादी उषा वहील वादी ने जाहिर किया कि वादीनी वाद को जारी नहीं चलाया जास्ते है। साथ ही जारी नोटिस "जारीज किया जावे हेतु गिफेन किया। वहील वादी को गिफेन स्वीकार किया जाया है। पत्रावली जरिये नोटिस जारीज की जाती है। गिफेन अपने नम्बर ले कम लेकर दाखिल करार है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम जायल (नागौर)</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Not Present J. <i>[Signature]</i></p>